ए.

लक्ष्मीबाई

बनाम

कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। (2020 की सिविल अपील संख्या 1622)

बी.

14 फरवरी, 2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर**,** हेमंत गुप्ता और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959:s.14B-ग्राम पंचायत का चुनाव-ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित अपीलार्थी -निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव व्यय जमा नहीं करने के कारण अपीलार्थी की अयोग्यता-आयोजितःएस का एक अवलोकन।14 बी से पता चलता है कि राज्य चुनाव आयोग को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति के पास चुनाव खर्च का लेखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है-दूसरा, उप-धारा (2) के संदर्भ में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उप-धारा (1) के तहत अयोग्यता को हटाया जा सकता है या अयोग्यता की अवधि को कम किया जा सकता है-तत्काल मामले में, अपीलार्थी का स्पष्टीकरण कि उसे उच्च रक्तचाप और मधुमेह के कारण बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी, जिसके कारण चुनाव खर्च प्रस्तुत करने में अनपेक्षित देरी हुई थी, स्वीकार नहीं किया गया था-कलेक्टर ने अपीलार्थी को ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने का आदेश पारित किया-अपील को इस कारण से खारिज कर दिया गया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण-उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959:s.14B-अपीलार्थी की याचिका थी कि चुनाव खर्च जमा करने में 15 दिनों की देरी हुई थी और इसलिए, निम्नलिखित अवधि के लिए अयोग्यता

एच.

880 ए.

881

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस।

पाँच साल उसके द्वारा किए गए चूक के अनुपात में नहीं थे-आयोजितः s.14B निर्वाचन आयोग को अयोग्यता का न्यायोचित आदेश पारित करने का अधिकार देता है-अयोग्यता की अवधि की सीमा चूक के अनुपात में होनी चाहिए-तत्काल मामले में, पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता का आदेश अपीलार्थी द्वारा किए गए चूक की सीमा को ध्यान में रखे बिना था-बिना किसी पर्याप्त कारण के शक्ति का ऐसा यांत्रिक प्रयोग, पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता के आदेश को अवैध और असमर्थनीय बना देता है-परिणामस्वरूप, कलेक्टर द्वारा पारित आदेश और अपील में और रिट याचिका में बाद के आदेशों को पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता निर्धारित करने की सीमा तक अपास्त करना दिया जाता है-देरी/चूक की अवधि को ध्यान में रखने के लिए कलेक्टर को प्रेषित किया गया मामला, चुनाव का उद्देश्य जिसके लिए चुनाव किया गया था। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959:s.14B-क्या एस का प्रावधान है।14 बी, अनिवार्य या निर्देशिका-आयोजितःएस में।14 बी, कोई निषेधात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि यह चुनाव आयोग को अयोग्यता का एक न्यायसंगत आदेश पारित करने का अधिकार देता है-धाराओं की उप-धारा (1)।14 बी राज्य चुनाव आयोग को किसी उम्मीदवार की अयोग्यता का आदेश पारित करने का अधिकार देता है, यदि उम्मीदवार उचित कारण के अभाव में या बिना किसी औचित्य के चुनाव खर्च का लेखा दर्ज करने में विफल रहता है-ऐसी संतुष्टि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज की जानी आवश्यक है-क्योंकि प्राधिकरण अयोग्यता की अवधि को कम करने की शक्ति के साथ निहित है, इसलिए, प्रावधान निर्देशिका बनाता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961:s.15B-पंचायत समिति के चुनाव-निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव खर्च जमा नहीं करने के कारण पांच साल की अवधि के

लिए चुनाव लड़ने के लिए अपीलार्थी की अयोग्यता-इस बीच, ग्राम पंचायत के चुनावों को अधिसूचित किया गया और अपीलार्थी ने सरपंच के पद के लिए अपना नामांकन जमा किया-इसके खिलाफ आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया और अपीलार्थी को विधिवत रूप से सरपंच के पद के लिए चुना गया-निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अयोग्यता केवल पंचों के लिए लागू होती है।

जी.

एच.

ए.

जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनावों के लिए नहीं-उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई आपत्ति को खारिज करने वाले निर्वाचन अधिकारी का आदेश-कलेक्टर द्वारा पारित अयोग्यता आदेश को चुनौती देने वाली अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका भी-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जबकि आक्षेपकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी, जिसमें निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था-अपील पर कहा गया थाःभारत के संविधान के <आई. डी. 1 में प्रावधान है कि किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय इसके कि राज्य के विधानमंडल के तहत बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान की गई ऐसी प्राधिकारी को और इस तरह से प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के माध्यम से-इन अपीलों में विवाद संसद के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित नहीं था, बल्कि एक स्थानीय निकाय से संबंधित था-संवैधानिक बाधा भारत के संविधान के <आई. डी. 1 में निहित है, जिसके आगे एस.15 ए को वर्ष 1994 में जोड़ा गया था -1959 के अधिनियम और धाराओं का s.10A।91961 के अधिनियम का ए कला के सहपठित पढ़ा गया।243-के और 243-ओ, भारत के संविधान के Art.324 के साथ समान सामग्री हैं-किसी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले व्यथित व्यक्ति का उपचार एस के तहत बनाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए एक चुनाव याचिका के माध्यम से है।151959 के अधिनियम का ए-उक्त अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो चुनाव से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है जैसा कि एस में निहित है।अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी अपीलार्थी 1 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी 5 अपीलार्थी 9 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी -अपीलार्थी उअपीलार्थी चअपीलार्थी ्अपीलार्थी चअपीलार्थी न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ाअपीलार्थी लअपीलार्थी ाअपीलार्थी ंअपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी भअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी

नअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी A अपीलार्थी r अपीलार्थी t अपीलार्थी .अपीलार्थी 2 अपीलार्थी 2 अपीलार्थी 6 अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी हअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी सअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी णअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी षअपीलार्थी ेअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी यअपीलार्थी ोअपीलार्थी गअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी रअपीलार्थी हअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी षअपीलार्थी ेअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी कअपीलार्थी ृअपीलार्थी तअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ेअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी धअपीलार्थी ीअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी थअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी धअपीलार्थी ्अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी खअपीलार्थी तअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ुअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी पअपीलार्थी यअपीलार्थी ोअपीलार्थी गअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी हअपीलार्थी ीअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी तअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी अपीलार्थी एअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी भअपीलार्थी ाअपीलार्थी वअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ैअपीलार्थी कअपीलार्थी लअपीलार्थी ्अपीलार्थी पअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी पअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी पअपीलार्थी लअपीलार्थी बअपीलार्थी ्अपीलार्थी धअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी अपीलार्थी औअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी भअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी भअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी धअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी A अपीलार्थी r अपीलार्थी t अपीलार्थी

.अपीलार्थी 2 अपीलार्थी 4 अपीलार्थी 3 अपीलार्थी -अपीलार्थी O अपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी दअपीलार्थी रअपीलार्थी ्अपीलार्थी भअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ंअपीलार्थी यअपीलार्थी मअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी यअपीलार्थी ोअपीलार्थी गअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी -अपीलार्थी एअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ूअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी ैअपीलार्थी कअपीलार्थी लअपीलार्थी ्अपीलार्थी पअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी तअपीलार्थी ंअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी दअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ाअपीलार्थी दअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी टअपीलार्थी अपीलार्थी अअपीलार्थी धअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी षअपीलार्थी ेअपीलार्थी तअपीलार्थी ्अपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी हअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी एअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी चअपीलार्थी िअपीलार्थी तअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी पअपीलार्थी ाअपीलार्थी यअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी हअपीलार्थी ीअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी -अपीलार्थी यअपीलार्थी हअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी चअपीलार्थी ्अपीलार्थी चअपीलार्थी न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी ुअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी वअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी लअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी ेअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी सअपीलार्थी ्अपीलार्थी तअपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी षअपीलार्थी ेअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी हअपीलार्थी ीअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी नअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी एअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ेअपीलार्थी कअपीलार्थी पअपीलार्थी ूअपीलार्थी रअपीलार्थी ्अपीलार्थी णअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी वअपीलार्थी ेअपीलार्थी कअपीलार्थी अपीलार्थी हअपीलार्थी ैअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी शअपीलार्थी ेअपीलार्थी षअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी ूअपीलार्थी पअपीलार्थी अपीलार्थी सअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी ुअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी वअपीलार्थी अपीलार्थी

कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी णअपीलार्थी ाअपीलार्थी मअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ीअपीलार्थी अपीलार्थी घअपीलार्थी ोअपीलार्थी षअपीलार्थी णअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी बअपीलार्थी ाअपीलार्थी दअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी ेअपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ्अपीलार्थी टअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ोअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ोअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ्अपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ूअपीलार्थी नअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी गअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी पअपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी लअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी खअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी जअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी -अपीलार्थी इअपीलार्थी सअपीलार्थी कअपीलार्थी ेअपीलार्थी अपीलार्थी मअपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी दअपीलार्थी ेअपीलार्थी नअपीलार्थी जअपीलार्थी रअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी चअपीलार्थी ्अपीलार्थी चअपीलार्थी न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी दअपीलार्थी ्अपीलार्थी वअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी रअपीलार्थी िअपीलार्थी टअपीलार्थी अपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी चअपीलार्थी िअपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी पअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी वअपीलार्थी िअपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी रअपीलार्थी अपीलार्थी नअपीलार्थी हअपीलार्थी ीअपीलार्थी ंअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी यअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी जअपीलार्थी ाअपीलार्थी नअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी चअपीलार्थी ाअपीलार्थी हअपीलार्थी िअपीलार्थी एअपीलार्थी अपीलार्थी थअपीलार्थी ाअपीलार्थी -अपीलार्थी हअपीलार्थी ाअपीलार्थी लअपीलार्थी ाअपीलार्थी ँअपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी ,अपीलार्थी अपीलार्थी उअपीलार्थी चअपीलार्थी ्अपीलार्थी चअपीलार्थी न्यायालयअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी ाअपीलार्थी अपीलार्थी आअपीलार्थी दअपीलार्थी ेअपीलार्थी शअपीलार्थी अपीलार्थी कअपीलार्थी िअपीलार्थी 243 के, 243 ओ और 324-चुनाव-कानून।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

883

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस।

ए.

क़ानूनों की व्याख्याःचाहे कोई प्रावधान अनिवार्य हो या निर्देशिका-निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द आम तौर पर प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति का संकेत देते हैं-महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 -s.14B।

अपीलों का निपटारा करते हुए**,** न्यायालय ने

बी.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता और पारदर्शिता चुनाव आयोग को चूक की प्रकृति की जांच किए बिना कोई भी सनकी आदेश पारित करने की बेलगाम और मनमाना शक्ति नहीं देती है।अयोग्यता की अवधि की सीमा चूक के अनुपात में होनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह की प्रक्रिया से निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य हो रहा है।**[**पैरा **18] [893-**बी**-**डी**]**

सी.

भारत संघ और अन्य बनामए**.** के**.** पांडे **(2009) 10** एस**.** सी**.** सी**.**

552 :[2009] 14 एस. सी. आर. 528; मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

कृष्णा जिला सहकारी समिति।सेंट्रल बैंक लिमिटेड बनाम

डी.

के. हनुमंत राव (2017) 2 एससीसी 528-पर निर्भर

डी**.** वेंकट रेड्डी बनाम आर**.** सुल्तान और अन्य। **(1976) 2** एससीसी **455;** पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह **(1999) 6** एससीसी

172 :[1999] 3 एस. सी. आर. 977; तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य। (2001) 6 एससीसी 260:[2001] 3

ई.

एस. सी. आर. **1146;** रवि यशवंत भोइर बनाम जिला कलेक्टर,

रायगढ़ और ओआरएस। (2012) 4 एससीसी 407:[2012] 3 एससीआर 775-विशिष्ट।

2. 1959 के अधिनियम की धारा **14** बी के तहत पारित पांच साल के लिए एक उम्मीदवार की अयोग्यता भविष्य के चुनाव के लिए भी अयोग्यता का कारण बनती है।हालाँकि**, 1959** के अधिनियम की धारा **14** बी आयोग को आदेश की तारीख से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार देती है**,** लेकिन पांच साल के लिए अयोग्यता का आदेश पारित करने के लिए**,** जो उसे अगला चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है**,** न कि केवल चुनाव खर्च प्रस्तुत नहीं करने के तथ्य पर**,** बल्कि ठोस कारणों से भी इसका समर्थन करने की आवश्यकता है।पाँच साल की अवधि के लिए अयोग्यता का आदेश अपीलार्थी द्वारा की गई चूक की सीमा को ध्यान में रखे बिना है और लोगों की इच्छा में पूरी तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है।इस तरह के यांत्रिक

एफ.

जी.

एच.

884 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

ए.

बिना किसी पर्याप्त कारण के शक्ति का प्रयोग**,** हालांकि दर्ज करने की आवश्यकता है**,** पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता के आदेश को अवैध और असमर्थनीय बनाता है।यह शक्ति का त्याग है जो अयोग्यता की उचित अवधि लागू करने के लिए एक कर्तव्य के साथ जोड़ा जाता है।इसलिए**,** हालांकि अपीलार्थी को पांच साल तक की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है**,** लेकिन अयोग्यता की ऐसी अवधि को ठोस कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए ताकि यह असंगत होने पर सीमा न लगे।**[**पैरा **20] [895-**सी**-**एफ**]3.** कलेक्टर इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः कानून के अनुसार अयोग्यता की अवधि के संबंध में नए सिरे से आदेश पारित करेगा।अयोग्यता की अवधि**,** यदि कोई हो**,** कलेक्टर द्वारा **9** अगस्त**, 2018** को पहले पारित आदेश की तारीख से लागू होगी और अयोग्यता के आदेश के परिणामस्वरूप आयोजित कोई भी चुनाव कलेक्टर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश का पालन करेगा।**[**पैरा **21] [895-**एच**; 896-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

4. 73 वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में भाग **IX** को जोड़ा।भारत के संविधान के अनुच्छेद **243-**ओ में प्रावधान किया गया है कि किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा**,** सिवाय उस प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के माध्यम से और उस तरीके से जो राज्य के विधानमंडल के तहत बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया हो।इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में**,** धारा **15** ए को **1994** के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या **21** द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान अपीलों में विवाद संसद के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित नहीं है**,** बल्कि स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित है।संवैधानिक प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद **243-**ओ में निहित है**,** जिसे आगे बढ़ाने के लिए धारा **15** ए को वर्ष **1994** में जोड़ा गया था। **[**पारस **38,39] [901-**ई**-**एफ**; 902-**ए**-**सी**]**

ई.

एफ.

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि

चांद श्री गोपाल और अन्य। (2011) 1 एससीसी 236:[2010] 13 एस. सी. आर. 820-लागू नहीं होता है।

जी.

गोकुल चंदनमल सांगवी बनाम महाराष्ट्र राज्य और

अन्य 2018 (4) एम. एच. एल. जे. 911; पी. पुन्नूस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64:[1952] एससीआर 218;

मोहिंदर सिंह गिल और अन्र बनाममुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। (1978) 1 एससीसी 405:

एच.

885

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस।

ए.

[1978] 2 एस**.** सी**.** आर**. 272;** एस**.** टी**.** मुथुसामी बनाम के**.** नटराजन और

ओआरएस। (1988) 1 एससीसी 572:[1988] 2 एससीआर 759; मालम

सिंह बनाम कलेक्टर**,** सीहोर ए**.** आई**.** आर **1971** एम**.** पी**. 195;** हरनेक सिंह बनाम चरणजीत सिंह और अन्य। **(2005) 8** एस**.** सी**.** सी**.**

383 :[2005] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 223-**संदर्भित।

5. 1959 के अधिनियम की धारा **10** ए और **1961** के अधिनियम की धारा **9** ए**,** जिन्हें अनुच्छेद **243-**के और **243-**ओ के सहपठित पढ़ा जाता है**,** भारत के संविधान के अनुच्छेद **324** के समान हैं।किसी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले व्यथित व्यक्ति का उपचार **1959** के अधिनियम की धारा **15** ए के तहत बनाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए एक चुनाव याचिका के माध्यम से है। उक्त अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो **1959** के अधिनियम की धारा **15** में निहित चुनाव से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। यद्यपि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है**,** लेकिन ऐसी अधिकार क्षेत्र प्रकृति में विवेकाधीन है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद **243-**ओ के संदर्भ में संयम बरतें।एक बार जब क़ानून द्वारा वैकल्पिक तंत्र प्रदान किया जाता है**,** तो रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना एक उचित उपाय नहीं है।यह एक विवेकपूर्ण विवेकाधिकार है कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए**,** विशेष रूप से चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद**,** लेकिन पार्टियों को क़ानून द्वारा विचार किए गए उपाय के लिए हटा दिया जाए। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए**,** रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था।हालांकि**,** उच्च न्यायालय का यह आदेश कि अपीलार्थी ने चुनाव की तारीख पर किए गए चुनाव खर्च को प्रस्तुत नहीं किया है**,** किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।**[**पैरा **43] [905-**ए**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

संदर्भित निर्णय

[2009] 14 एससीआर **528**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **10 (1976) 2** एस**.** सी**.** सी**. 455** विशिष्ट पैरा **14 [1999] 3** एस**.** सी**.** आर**. 977** विशिष्ट पैरा **15 [2001] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1146** विशिष्ट पैरा **16 [2012] 3** एस**.** सी**.** आर**. 775** विशिष्ट पैरा **17 (2017) 2** एस**.** सी**.** सी**. 528** पर निर्भर था

जी.

पैरा **19**

एच.

886 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

ए.

[2010] 13 एस**.** सी**.** आर**. 820** अप्रयोज्य पैरा **32 [1952]** एस**.** सी**.** आर**. 218**

संदर्भित किया गया है

पैरा **37**

[1978] 2 एससीआर **272**

संदर्भित किया गया है

पैरा **40**

[1988] 2 एससीआर **759**

संदर्भित किया गया है

पैरा **41**

बी.

[2005] 4 पूरक।पैरा **42** में निर्दिष्ट एस**.** सी**.** आर**. 223**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 1622।

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 10.12.2018 से, 2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 13642 में औरंगाबाद की पीठ।

सी.

के साथ

2020 की सिविल अपील सं. 1623-1625,1626।

सुश्री अनीता शेनॉय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुधांशु एस. चौधरी, योगेश कोल्टे, महेश पी. शिंदे, शकुल आर. घाटोले, सुश्री रश्मि नंदकुमार, सुश्री आयुषमा अवस्थी, शंकर नारायणन, एम. वाई. देशमुख, सुश्री मंजीत कृपाल, संदीप सुधाकर देशमुख, वसीम सिद्दीकी, डॉ. रवींद्र चिंगले, सचिन पाटिल, विजय कुमार, सुश्री भारती त्यागी, आर. सी. शर्मा, अधिवक्तागण उपस्थित दलों के लिए।

डी.

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

हेमंत गुप्ता, जे।

सिविल अपील @2019 की एसएलपी (सी) संख्या 16837 1.छुट्टी दे दी गई।

एफ.

2. वर्तमान अपील में चुनौती 10 दिसंबर, 2018 के एक आदेश को दी गई है, जिसे बॉम्बे में उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ ने महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 14 बी के तहत अयोग्यता के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए पारित विद्वान था।

जी.

3. ग्राम पंचायत, मुगट, तालुक मुदखेड़, जिला नांदेड़ का चुनाव 1 नवंबर, 2015 को हुआ था। परिणाम 4 नवंबर, 2015 को घोषित किए गए थे।अपीलार्थी को सदस्य के रूप में चुना गया था

1 संक्षेप में, '1959 अधिनियम' ए

एच.

887

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

ग्राम पंचायत से।अपीलार्थी को 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी के संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। अपीलार्थी ने 15 दिनों की देरी के साथ खर्च प्रस्तुत किए।अपीलार्थी को 3 मार्च, 2016 को कारण दर्शाने का नोटिस दिया गया था कि चुनाव खर्च जमा करने में विफलता के कारण उसे अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए।अपीलार्थी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि खराब स्वास्थ्य के कारण खर्चों का विवरण प्रस्तुत करने में 15 दिनों की देरी हुई थी और उस देरी को माफ किया जा सकता है।

बी.

4. राज्य चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में कलेक्टर ने 9 अगस्त, 2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें अपीलार्थी को ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया, केवल इस कारण से कि अपीलार्थी ने समय के भीतर चुनाव खर्च जमा नहीं किया है।

सी.

5. इस तरह के आदेश के खिलाफ अपील को 19 नवंबर, 2018 को अतिरिक्त मंडल आयुक्त, औरंगाबाद द्वारा इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं किया गया है।उक्त आदेश को रिट कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसमें उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया थाः

डी.

"5. याची के विद्वान अधिवक्ता ने चिकित्सा प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की है जिस पर याची ने भरोसा किया था।उसी को रिकॉर्ड में लिया जाता है और पहचान के लिए "एक्स" चिह्नित किया जाता है।इस दस्तावेज़ में कोई विवरण नहीं है, जैसे नाम, निदान, तिथि और संदर्भ संख्या आदि। कुछ भी उल्लेख नहीं है।एक निजी अस्पताल द्वारा जारी किए गए इस प्रमाण पत्र पर केवल डॉक्टर की मुहर होती है।यह कहा गया है कि याची उच्च रक्तचाप, मधुमेह से पीड़ित था और उसे बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी।इसके बावजूद इस दस्तावेज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।यदि अधिकारियों ने इस तरह के दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किया है, तो उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई त्रुटि नहीं है।"

ई.

एफ.

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि अपीलार्थी को उच्च रक्तचाप और मधुमेह के कारण बिस्तर पर आराम करने की सलाह दी गई थी, जो वास्तव में चुनाव खर्च प्रस्तुत करने में अनपेक्षित देरी का कारण बना।यह भी तर्क दिया जाता है कि अपीलार्थी विधिवत पंचायत का निर्वाचित सदस्य है और यदि उम्मीदवार लेखा जमा करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य दिखाने में विफल रहता है तो अयोग्यता का आदेश पारित किया जा सकता है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि प्रस्तुत किए गए खाते, हालांकि पंद्रह दिनों की देरी के साथ, उचित नहीं हैं या उनके अनुसार नहीं हैं।

जी.

एच.

लागू नियमों या निर्देशों के साथ।उन्हें पांच साल के लिए अयोग्य ठहराने का आदेश, वास्तव में, 8 अगस्त, 2023 (यानी 9 अगस्त, 2018 को पारित आदेश की तारीख से) तक चुनाव लड़ने के उनके अधिकार को खतरे में डालता है।7. यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि अपीलार्थी ग्राम मुगट का विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुना गया है, इसलिए चूक की सीमा और अयोग्यता के परिणामों को ध्यान में रखे बिना पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता के आदेश को अपीलार्थी के खिलाफ कथित कमी के लिए पूरी तरह से असमान बनाता है।यह तर्क दिया जाता है कि अयोग्यता का आदेश बिना किसी देरी के पारित किया जाना चाहिए था न कि चुनाव के लगभग 3 साल बाद।यह भी तर्क दिया जाता है कि पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता अयोग्यता की अधिकतम अवधि है, जबकि 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी की उप-धारा (2) के संदर्भ में अयोग्यता पांच साल से कम की अवधि के लिए हो सकती है।इसलिए, प्राधिकरण से अपेक्षा की जाती थी कि वह चूक की प्रकृति और सीमा और अयोग्यता की परिणामी अवधि पर विचार करे, जो ऐसे प्राधिकरण द्वारा पाए गए चूक के अनुरूप होनी चाहिए।1959 के अधिनियम की सुसंगत धारा 14 बी इस प्रकार हैः

बी.

सी.

डी.

“14B. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अयोग्यता।–

(1) यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, (क) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और तरीके से निर्वाचन व्यय का लेखा दर्ज करने में विफल रहा है, और

ई.

(ख) ऐसी विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है, राज्य चुनाव आयोग, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा, उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पंचायत का सदस्य होने या सदस्य होने के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

एफ.

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उप-धारा (1) के तहत किसी भी अयोग्यता को हटा सकता है या ऐसी किसी अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है।”

जी.

8. 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि राज्य चुनाव आयोग को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि क्या किसी व्यक्ति के पास चुनाव खर्च का

लेखा प्रस्तुत करने में विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है।दूसरा, उप-धारा (2) के संदर्भ में, ए होने के कारणों के लिए

एच.

889

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

उप-धारा (1) के तहत अयोग्यता को हटाया जा सकता है या अयोग्यता की अवधि को कम किया जा सकता है।

9. कलेक्टर ने 9 अगस्त, 2018 को चुनाव खर्च जमा करने में देरी के लिए स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं करने का आदेश पारित किया।अपील में, विद्वान अतिरिक्त मंडल आयुक्त ने पाया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी नहीं विद्वान गया है और मामले को कलेक्टर द्वारा सत्यापित विद्वान गया है।अपीलार्थी ने निर्धारित समय के भीतर चुनाव व्यय जमा नहीं किया है, इसलिए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।उच्च न्यायालय ने रिट याचिका में पाया कि चिकित्सा प्रमाण पत्र में नाम, निदान, तिथि और संदर्भ संख्या आदि जैसे कोई विवरण नहीं हैं। प्रमाण पत्र एक निजी अस्पताल द्वारा जारी किया जाता है और केवल डॉक्टर की मुहर लगी होती है।इस तरह के दस्तावेज़ को समय के भीतर चुनाव खर्च जमा नहीं करने के लिए उचित स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।हम पाते हैं कि चुनाव खर्चों को जमा करने में देरी के स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया गया है।इसलिए, हम अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

बी.

सी.

डी.

10. हालांकि, जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या 15 दिनों की देरी अनिवार्य रूप से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता का अनुसरण करती है।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अयोग्यता का आदेश कलेक्टर द्वारा चुनाव के लगभग 3 साल बाद पारित किया गया था और दो साल से अधिक समय के लिए सुनवाई की केवल दो तारीखें थीं।इसलिए, कलेक्टर की ओर से अयोग्यता आदेश की घोषणा में अत्यधिक देरी अपीलार्थी को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित करती है क्योंकि अयोग्यता की अवधि आदेश की तारीख से शुरू होती है।हालांकि, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता इस निर्णय पर निर्भर करता है

ई.

न्यायालय ने भारत संघ और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया।ए. के. पांडे **2** मुकाबला करने के लिए

एफ.

कि 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी का अधिदेश अयोग्यता है और 'हो सकता है' शब्द को 'होगा' के रूप में पढ़ना होगा।

11. हम इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी अनिवार्य है।उक्त अधिनियम की धारा 14 बी की उप-धारा (1) राज्य चुनाव आयोग को किसी उम्मीदवार की अयोग्यता का आदेश पारित करने का अधिकार देती है, यदि उम्मीदवार उचित कारण के अभाव में या बिना किसी औचित्य के चुनाव खर्च का लेखा दर्ज करने में विफल रहता है।इस तरह की संतुष्टि को चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किया जाना आवश्यक है।पाँच साल की अवधि के लिए अयोग्यता केवल चुनाव खर्च का लेखा दाखिल नहीं करने का आवश्यक परिणाम नहीं है।फिर भी।

जी.

एच.

2 (2009) 10 एस. सी. सी. 552

इसके अलावा, उप-धारा (2) राज्य चुनाव आयोग को दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उप-धारा (1) के तहत किसी भी अयोग्यता को हटाने या ऐसी किसी अयोग्यता की अवधि को कम करने का अधिकार देती है।चूँकि प्राधिकरण के पास अयोग्यता की अवधि को कम करने की शक्ति निहित है, इसलिए प्रावधान निर्देशिका बनाता है।

12. ए. के. पांडे के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द आमतौर पर प्रावधान की अनिवार्य प्रकृति का संकेत देते हैं, हालांकि केवल कहा गया तथ्य निर्णायक नहीं है।इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:- “15. यह सिद्धांत काफी अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि न्यायालय को इस तरह के प्रावधान के उद्देश्य और उसके गैर-पालन से होने वाले परिणामों की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी।यदि संदर्भ न तो दिखाता है और न ही अन्यथा मांग करता है, तो एक नकारात्मक रूप में जोड़े गए वैधानिक प्रावधान के पाठ को आम तौर पर आदेश के रूप में पढ़ना पड़ता है।जब "विल" शब्द के बाद निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द आते हैं, तो प्रावधान को निरपेक्ष, अनिवार्य और अनिवार्य

बनाने का विधायी इरादा जोरदार और स्पष्ट हो जाता है और सामान्य रूप से इसका अनुमान इस तरह से लगाया जाना चाहिए।....."

बी.

सी.

डी.

13. वर्तमान मामले में, 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी में कोई निषेधात्मक या नकारात्मक अभिव्यक्तियों का उपयोग नहीं किया गया है, क्योंकि यह चुनाव आयोग को अयोग्यता का न्यायसंगत आदेश पारित करने का अधिकार देता है।कानून की सरल भाषा को देखते हुए इस तरह के प्रावधान को पांच साल की अनिवार्य अवधि नहीं माना जा सकता है।

ई.

14. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि अयोग्यता अपीलार्थी द्वारा की गई चूक के अनुपात में नहीं है।डी. वेंकट रेड्डी बनाम आर. सुल्तान और अन्य के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। 3, यह अभिनिर्धारित किया गया कि चुनाव एक राजनीतिक रूप से पवित्र सार्वजनिक कार्य है, न कि एक व्यक्ति या एक अधिकारी का, बल्कि पूरे निर्वाचन क्षेत्र की सामूहिक इच्छा का।उक्त अपील में चुनौती भ्रष्ट प्रथाओं के आरोप पर चुनाव के लिए थी।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चुनावों में लोगों के बहुमूल्य निर्णय को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए और अस्पष्ट, अनिश्चित, तुच्छ या काल्पनिक आरोपों की अवहेलना नहीं की जानी चाहिए।चुनाव को रद्द करने के लिए एक मजबूत मामला बनाने की जिम्मेदारी चुनाव याची पर बहुत अधिक है।चुनावी विवादों में चुनाव परिणामों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।साथ ही, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उम्मीदवार चुनाव की शुद्धता और संयम की रक्षा करें।

एफ.

जी.

3 (1976) 2 एससीसी 455 ए

एच.

891

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

अधिनियम में निर्धारित अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, सांप्रदायिक प्रचार, रिश्वत या अन्य भ्रष्ट प्रथाओं द्वारा लोगों के मूल्यवान वोटों को सुरक्षित नहीं करना। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“3. श्री पी. बस्सी रेड्डी ने अपीलार्थी के वकील ने 7,26 और 27 के मुद्दों पर उच्च न्यायालय के निष्कर्षों पर हमारे सामने हमला विद्वान है क्योंकि ये एकमात्र ऐसे मुद्दे थे जिन्होंने अपीलार्थी को प्रभावित विद्वान था।श्री बी. शिव शंकर, प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले का समर्थन करने का प्रयास विद्वान है कि उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष साक्ष्य और तथ्यों और परिस्थितियों के सही और उचित मूल्यांकन पर आधारित थे।हमारे जैसे लोकतंत्र में, चुनावों की शुद्धता और पवित्रता, चुनावी प्रक्रिया की पवित्र और पवित्र प्रकृति को संरक्षित और बनाए रखा जाना चाहिए।चुनावों में लोगों के मूल्यवान निर्णय को उचित सम्मान और स्पष्टता दी जानी चाहिए और इसे अस्पष्ट, अनिश्चित, तुच्छ या काल्पनिक आरोपों या ऐसे साक्ष्य पर नजरअंदाज या शून्य नहीं किया जाना चाहिए जो अस्थिर या मनगढ़ंत चरित्र का हो।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि चुनाव को रद्द करने के लिए एक मजबूत मामला बनाने की जिम्मेदारी चुनाव याची पर बहुत अधिक है।हमारे देश में चुनाव काफी महंगा और महंगा है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ने चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की है।इन परिस्थितियों में, इसलिए, चुनाव विवादों में चुनाव परिणामों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है।साथ ही यह सुनिश्चित करके चुनाव की शुद्धता और संयम की रक्षा करना आवश्यक है कि उम्मीदवार अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, सांप्रदायिक प्रचार, रिश्वत या अधिनियम में निर्धारित अन्य भ्रष्ट प्रथाओं से लोगों के मूल्यवान वोटों को सुरक्षित न करें।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

15. इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह 4 के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में कहा कि एक निर्वाचित पदाधिकारी को हटाने के मुद्दे के गंभीर परिणाम हैं।यह निहित रूप से प्राधिकरण की ओर से वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य और अनिवार्य बनाता है।यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सजा जितनी गंभीर होगी, यह देखने के लिए अधिक सावधानी बरतनी होगी कि कानून में दिए गए सभी सुरक्षा उपायों का ईमानदारी से पालन किया जाए।

जी.

16. तरलोचन देव शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य। **5,** यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि एक पद धारण करना और उसका आनंद लेना, संबंधित कार्य करना

कर्तव्य न केवल लौटे उम्मीदवार का बल्कि उसके निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचक मंडल का भी एक मूल्यवान वैधानिक अधिकार है।इसलिए, निर्धारित प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जब तक कोई स्पष्ट मामला नहीं बनता है, तब तक उसे हटाने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

17. रवि यशवंत भोइर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ और

ओआरएस। 6, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक निर्वाचित अधिकारी को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना अनौपचारिक रूप से हटाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।जहां वैधानिक प्रावधान के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं, यह प्राधिकरण की ओर से वैधानिक प्रावधानों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य और अनिवार्य बनाता है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:“35. निर्वाचित अधिकारी अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है क्योंकि वह बड़ी संख्या में मतदाताओं द्वारा चुना जा रहा होता है।उनके हटाए जाने के गंभीर परिणाम हैं क्योंकि उन्हें पद से हटा दिया जाता है और एक और निर्धारित अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यह उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के अधिकार को भी छीन लेता है।निस्संदेह, इस तरह के पद को धारण करने का अधिकार वैधानिक है और कोई भी व्यक्ति इस पद के लिए किसी भी पूर्ण या निहित अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, लेकिन उसे हटाने के लिए विधायिका द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों का सख्ती से पालन किए बिना उसे हटाया नहीं जा सकता है (ज्योति बसु बनाम देवी घोषाल [(1982) 1 एससीसी 691:ए. आई. आर. 1982 एससी

बी.

सी.

डी.

983] , मोहन लाल त्रिपाठी बनाम जिला मजिस्ट्रेट, रायबरेली

[(1992) 4 एससीसी 80:ए. आई. आर. 1993 एससी 2042] और राम बेटी बनाम जिला पंचायत राज अधिकारी [(1998) 1 एस. सी. सी. 680:ए. आई. आर. 1998 एस. सी. 1222]।

ई.

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे पर कानून इस प्रभाव से स्पष्ट है कि एक निर्वाचित सदस्य को असाधारण परिस्थितियों में वैधानिक प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हुए और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की आवश्यकता को पूरा करते हुए और एक पदधारी को अपना बचाव करने का अवसर देते हुए हटाया जा सकता है, क्योंकि एक निर्वाचित व्यक्ति को हटाना उस पर कलंक लगाता है और उसके मूल्यवान वैधानिक अधिकार को छीन लेता है।न केवल निर्वाचित पदाधिकारी बल्कि उसका निर्वाचन क्षेत्र/निर्वाचक मंडल भी अपनी पसंद के व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व से वंचित है।37. एक विधिवत निर्वाचित व्यक्ति उस कार्यकाल के लिए पद धारण करने का हकदार है जिसके लिए वह चुना गया है और उसे केवल एक सिद्ध कदाचार या कानून के तहत स्थापित किसी अन्य प्रक्रिया पर ही हटाया जा सकता है।

एफ.

जी.

6 (2012) 4 एससीसी 407 ए

एच.

893

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

जैसे "अविश्वास प्रस्ताव", आदि। निर्वाचित अधिकारी अपने मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होता है क्योंकि उसे बड़ी संख्या में मतदाताओं द्वारा चुना गया है और जब उसे पद से हटा दिया जाता है और आगे निर्धारित अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे।"

18. निर्णय चुनाव याचिका में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और आरोप के प्रमाण से संबंधित हैं, लेकिन अयोग्यता की सजा देने के मामले में ऐसे सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए, जिसका गंभीर निहितार्थ लगभग चुनाव में भ्रष्ट प्रथाओं में लिप्त होने के समान है।चुनाव प्रक्रिया में शुद्धता और पारदर्शिता चुनाव आयोग को चूक की प्रकृति की जांच किए बिना कोई भी सनकी आदेश पारित करने की बेलगाम और मनमाना शक्ति नहीं देती है।अयोग्यता की अवधि की सीमा चूक के अनुपात में होनी चाहिए।चुनाव आयोग को यह ध्यान रखना होगा कि इस तरह की प्रक्रिया से निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सामूहिक इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत निर्वाचित उम्मीदवार का चुनाव शून्य हो रहा है।

बी.

सी.

डी.

19. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कृष्णा जिला सहकारी के रूप में रिपोर्ट किए गए एक फैसले में। सेंट्रल बैंक लिमिटेड बनामके. हनुमंत राव 7, यह न्यायालय

अभिनिर्धारित किया कि दंड में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा की सीमित शक्ति आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित है जो न्यायिक समीक्षा की एक अवधारणा है।यदि सजा इतनी असमान है कि यह न्यायिक विवेक को झकझोर देती है, तो न्यायालय हस्तक्षेप करेगी। प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

ई.

" 7.2 अन्यथा भी, उपरोक्त कारण लगाए गए दंड में हस्तक्षेप करने का एक वैध कारण नहीं हो सकता था।यह सामान्य बात है कि न्यायालय, ऐसे मामलों पर न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नहीं बैठते हैं।प्रकृति और मात्रा के आधार पर निर्णय लेना अनुशासनात्मक प्राधिकरण का विशेषाधिकार है।इसका निर्णय करना उच्च न्यायालय का कार्य नहीं है।यह केवल असाधारण परिस्थितियों में है, जहां यह पाया जाता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी/नियोक्ता द्वारा दी गई सजा/जुर्माना पूरी तरह से असमान है, वह भी इस हद तक कि यह न्यायालय की अंतरात्मा को हिलाता है, कि न्यायालय हस्तक्षेप करता है। 7.2.1 इसमें कोई संदेह नहीं है कि सजा का अधिनिर्णय, जो आरोपों से बहुत अधिक है, प्रतिरक्षा का दावा नहीं कर सकता है और न्यायिक समीक्षा के लिए सीमित दायरे के तहत हस्तक्षेप के लिए खुला रहता है।यह सीमित

एफ.

जी.

एच.

7 (2017) 2 एस. सी. सी. 528

दंड में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक समीक्षा की शक्ति आनुपातिकता के सिद्धांत पर आधारित है जो हमारे न्यायशास्त्र में न्यायिक समीक्षा की एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अवधारणा है। सजा इतनी असमान प्रतीत होनी चाहिए कि यह न्यायपालिका को झकझोर दे

विवेक।[झारखंड राज्य बनाम कमल प्रसाद, (2014) देखें।

7 एस. सी. सी. 223]इस न्यायालय के निर्णय से इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों को निकालना भी उपयुक्त होगा।

बी.

केंद्रीय विद्यालय संगठन बनाम जे. हुसैन, (2013) 10 एससीसी

106:(एस. सी. सी. पीपी. 110-12, पैरा 8-10) "8. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश मामले पर पुनर्विचार करते हुए, स्पष्ट रूप से, इस बात की जांच करेगा कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाई गई सजा उचित है या नहीं।यदि अपीलीय प्राधिकारी की राय है कि मामले में कम दंड की आवश्यकता है, तो वह अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को कम कर सकता है।ऐसी शक्ति जो विभागीय रूप से अपीलीय प्राधिकरण के पास निहित है, आम तौर पर न्यायालय या न्यायाधिकरण के लिए उपलब्ध नहीं है।न्यायालय द्वारा मामले की न्यायिक समीक्षा करते समय अपनी राय को प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए।

सी.

डी.

तथ्यों के पुनर्मूल्यांकन पर।(दादरा और नगर हवेली का केंद्र शासित प्रदेश देखें

बनाम गुलाबिया एम. लाड, (2010) 5 एससीसी 775)।हालाँकि, न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए, न्यायालय लगाए गए दंड में हस्तक्षेप कर सकता है जब यह पूरी तरह से तर्कहीन पाया जाता है या तर्क की अवज्ञा में अपमानजनक होता है।न्यायिक समीक्षा का यह सीमित दायरा स्वीकार्य है और हस्तक्षेप केवल तभी उपलब्ध होता है जब सजा आश्चर्यजनक रूप से असमान होती है, जो सद्भावना की कमी का संकेत देती है।अन्यथा, केवल इसलिए कि न्यायालय की राय में कम सजा अधिक उचित होती, विभागीय अधिकारियों के विवेक में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

एक्सएक्स

एक्सएक्स

एक्सएक्स

10. इस न्यायालय ने रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ, (1987) 4 एस. सी. सी. 611 में भी उपरोक्त सिद्धांत को एक अभेद्यता प्रदान की थी।न्यायालय के लिए बोलते हुए, जे. वेंकटचलैया, (जैसा कि वे तब थे) इस बात पर जोर देते हुए कि "सभी शक्तियों की कानूनी सीमाएँ होती हैं" उपरोक्त सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में लागू कियाः(एस. सी. सी. पी. 620, पैरा 25)

जी.

‘25.... सजा के चयन और मात्रा का सवाल ए के अधिकार क्षेत्र और विवेक के भीतर है।

एच.

895

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

न्यायालय मार्शल।लेकिन सजा अपराध और अपराधी के अनुरूप होनी चाहिए।यह प्रतिशोधी या अनावश्यक रूप से कठोर नहीं होना चाहिए।यह अपराध के लिए इतना असमान नहीं होना चाहिए कि विवेक को झटका लगे और अपने आप में पूर्वाग्रह के निर्णायक साक्ष्य के बराबर हो। आनुपातिकता का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा की अवधारणा के हिस्से के रूप में, यह सुनिश्चित करेगा कि एक ऐसे पहलू पर भी जो अन्यथा, कोर्ट मार्शल के अनन्य प्रांत के भीतर है, यदि सजा के बारे में भी न्यायालय का निर्णय तर्क की अपमानजनक अवज्ञा है, तो सजा सुधार से मुक्त नहीं होगी।अतार्किकता और विकृति न्यायिक समीक्षा के मान्यता प्राप्त आधार हैं।”

बी.

सी.

20. 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी के तहत पारित पांच साल के लिए एक उम्मीदवार की अयोग्यता भविष्य के चुनाव के लिए भी अयोग्यता का कारण बनती है।हालाँकि, 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी आयोग को आदेश की तारीख से पांच साल से अधिक की अवधि के लिए किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने का अधिकार देती है, लेकिन पांच साल के लिए अयोग्यता का आदेश पारित करने के लिए, जो उसे अगला चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, न कि केवल चुनाव खर्च प्रस्तुत नहीं करने के तथ्य पर, बल्कि ठोस कारणों से भी इसका समर्थन करने की आवश्यकता है।हम पाते हैं कि पाँच साल की अवधि के लिए अयोग्यता का आदेश अपीलार्थी द्वारा की गई चूक की सीमा को ध्यान में रखे बिना है और लोगों की इच्छा में पूरी तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है।हम पाते हैं कि बिना किसी पर्याप्त कारण के शक्ति का इस तरह का यांत्रिक प्रयोग, हालांकि दर्ज करने की आवश्यकता है, पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता के आदेश को अवैध और असमर्थनीय बनाता है।यह सत्ता का त्याग है जो अयोग्यता की उचित अवधि लागू करने के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है।इसलिए, हालांकि अपीलार्थी को पांच साल तक की अवधि के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, लेकिन हम पाते हैं कि अयोग्यता की ऐसी अवधि को ठोस कारणों से समर्थित किया जाना चाहिए ताकि यह असंगत होने पर सीमित न हो।

डी.

ई.

एफ.

21. नतीजतन, कलेक्टर द्वारा 9 अगस्त 2018 को पारित आदेश और अपील और रिट याचिका में बाद के आदेशों को पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता निर्धारित करने की सीमा तक अपास्त करना दिया जाता है और मामले को कलेक्टर को देरी/चूक की अवधि, जिसके लिए चुनाव खर्च प्रस्तुत करने की मांग की जाती है और अयोग्यता का आदेश आदेश की तारीख से संचालित होता है, जिसमें अयोग्यता का आदेश पारित करने में देरी भी शामिल है, को ध्यान में रखा जाता है।कलेक्टर कानून के अनुसार अयोग्यता की अवधि के संबंध में नए सिरे से आदेश पारित करेगा।

जी.

एच.

इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने की अवधि।अयोग्यता की अवधि, यदि कोई हो, कलेक्टर द्वारा 9 अगस्त, 2018 को पहले पारित आदेश की तारीख से लागू होगी और अयोग्यता के आदेश के परिणामस्वरूप आयोजित कोई भी चुनाव कलेक्टर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश का पालन करेगा।

2019 की सिविल अपील @एसएलपी (सी) संख्या 20814-20816

बी.

ए एन डी

सिविल अपील @एसएलपी (सी). 2019 22 की डायरी संख्या 40018।देरी को माफ कर दिया गया।छुट्टी दे दी गई।

सी.

23. वर्तमान अपील 24 जुलाई, 2019 को बॉम्बे में उच्च न्यायालय की विद्वान एकल पीठ द्वारा पारित एक सामान्य आदेश से उत्पन्न होती है, जिसमें अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और रितेश सुरेश पाटिल और प्रदीप निम्बा पाटिल द्वारा दायर रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।

डी.

24. पंचायत समिति, ग्राम मुक्ति, तालुक और जिला धुले, महाराष्ट्र के चुनाव 1 दिसंबर, 2013 को हुए थे।अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल ने उक्त चुनाव लड़ा।परिणाम 2 दिसंबर, 2013 को घोषित किए गए थे और अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल निर्वाचित नहीं हुए थे।अपीलार्थी को महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 15 बी के संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च प्रस्तुत करना आवश्यक था।चूंकि अपीलार्थी ने निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव खर्च का लेखा जमा नहीं किया था, इसलिए उसे 21 जुलाई, 2014 को कारण दर्शाएँ नोटिस दिया गया था कि चुनाव खर्च का लेखा जमा करने में विफल रहने के कारण उसे अगले पांच वर्षों के लिए अयोग्य क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए।अपीलार्थी ने निर्धारित समय के भीतर यानी सात दिनों के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन 28 अगस्त, 2014 को उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि खराब स्वास्थ्य के कारण वह खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके।कलेक्टर ने 3 नवंबर, 2014 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को पांच साल की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।अपीलार्थी द्वारा दायर एक अपील को संभागीय आयुक्त द्वारा 18 दिसंबर, 2017 को खारिज कर दिया गया था।

ई.

एफ.

जी.

25. इस बीच, ग्राम पंचायत, ग्राम मुक्ति के चुनावों को अधिसूचित किया गया।अपीलार्थी ने 21 सितंबर, 2017 को सरपंच पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया।अपीलार्थी का ऐसा नामांकन था

एच.

8 संक्षेप में, '1961 अधिनियम' ए

897

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

प्रदीप निम्बा पाटिल (उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की डब्ल्यू. पी. संख्या 11929 में याचिकाकर्ता) ने आपत्ति जताई, लेकिन 25 सितंबर, 2017 को निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया।अपीलार्थी को सरपंच पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अयोग्यता केवल जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों के लिए लागू होती है न कि ग्राम पंचायत के चुनावों के लिए।निर्वाचन अधिकारी के आदेश को 2017 की रिट याचिका संख्या 11929 और 2017 की रिट याचिका संख्या 13711 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी।

बी.

26. 2018 की रिट याचिका संख्या 3846 अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल द्वारा 18 दिसंबर, 2017 को संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी, जिसमें कलेक्टर द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव खर्च का लेखा जमा करने में विफल रहने के कारण उन्हें पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित करने के लिए 3 नवंबर, 2014 के आदेश की पुष्टि की गई थी।प्रदीप निम्बा पाटिल द्वारा 2017 की रिट याचिका संख्या 11929 दाखिल की गई थी, जिसमें निर्वाचन अधिकारी द्वारा 25 सितंबर, 2017 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल के नामांकन पर उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया था।2017 की रिट याचिका संख्या 13711 रितेश सुरेश पाटिल (2019 की विशेष अनुमति याचिका डायरी संख्या 40018 से उत्पन्न नागरिक अपील में अपीलार्थी) द्वारा दायर की गई थी, जिसमें अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल के चुनाव को इस आधार पर अपास्त करनाने की प्रार्थना की गई थी कि उनके नामांकन की तारीख पर उन्हें उक्त चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।अपीलार्थी रितेश सुरेश पाटिल द्वारा गुलाबराव आनंद पाटिल के चुनाव को दरकिनार करके उन्हें ग्राम पंचायत, ग्राम मुक्ति का सरपंच घोषित करने के लिए एक और प्रार्थना की जाती है।

सी.

डी.

ई.

27. उच्च न्यायालय ने गुलाबराव आनंद पाटिल की रिट याचिका को खारिज कर दिया।प्रदीप निम्बा पाटिल और रितेश सुरेश पाटिल द्वारा दायर रिट याचिकाओं को आंशिक रूप से अनुमति दी गई और निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया, जबकि रितेश सुरेश पाटिल द्वारा दायर रिट याचिका में दावा किया गया कि उन्हें सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित नहीं किया गया था।अपीलार्थियों गुलाबराव आनंद पाटिल और रितेश सुरेश पाटिल इस न्यायालय में अपील कर रहे हैं।

एफ.

जी.

28. उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का तर्क था कि 3 नवंबर, 2014 का आदेश अपीलार्थी के खराब स्वास्थ्य के बारे में स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना पारित किया गया है और आदेश यांत्रिक रूप से पारित किया गया है।उच्च न्यायालय ने पाया कि स्वीकार्य रूप से अपीलार्थी गुलाबराव आनंद पाटिल ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

एच.

मतदान की तारीख को किए गए चुनाव खर्च, इसलिए, अपीलार्थी को अगले पांच वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराते हुए कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी की अयोग्यता 1961 के अधिनियम के तहत खर्चों को प्रस्तुत नहीं करने के कारण थी। 1961 के अधिनियम की धारा 15 बी के तहत अयोग्यता पार्षद होने के लिए चुनाव लड़ने के लिए थी।इस तरह की अयोग्यता अलग क़ानून, 1959 अधिनियम द्वारा शासित किसी अन्य स्थानीय निकाय के संबंध में चुनाव लड़ने के लिए लागू नहीं होती है।

बी.

29. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित आदेश 1959 के अधिनियम की धारा 15 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति को चुनाव याचिका दायर करने का कारण प्रदान करता है। नामांकन पत्रों की स्वीकृति के इस तरह के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ को देखते हुए और 1959 के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक प्रभावी उपाय को देखते हुए रिट याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती थी।

सी.

30. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता चुनाव की तारीख पर किए गए चुनाव खर्च को दाखिल नहीं करने के अपीलार्थी द्वारा किए गए चूक के लिए पूरी तरह से असमान है।31. लक्ष्मी बाई द्वारा दायर एक अपील में इसी तरह के तर्क की जांच की गई है। उसमें दर्ज कारणों से, हम पाते हैं कि पाँच साल की अवधि के लिए अयोग्यता का आदेश अवैध और असमर्थनीय है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

डी.

ई.

32. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने एक निर्णय को संदर्भित किया

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली बनाम हरि

चांद श्री गोपाल और अन्य। 9 यह तर्क देने के लिए कि अपीलार्थी ने चुनाव व्यय प्रस्तुत करने के प्रावधानों का काफी हद तक पालन किया है, इसलिए अयोग्यता का आदेश मान्य नहीं है।हम उक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।चुनाव की शुद्धता बनाए रखने और प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए चुनाव खर्च की मांग की जाती है।मतदाताओं को चुनाव के दौरान और उसके बाद

अपने उम्मीदवार के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए।अतः उत्पाद शुल्क से संबंधित ऐसा निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

एफ.

जी.

33. 1961 के अधिनियम की धारा 15 बी के प्रावधान 1959 के अधिनियम की धारा 14 बी के प्रावधानों के समान हैं। 1961 के अधिनियम की धारा 15 बी निम्नानुसार हैः

9 (2011) 1 एससीसी 236 ए

एच.

899

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

“15B. राज्य चुनाव आयोग द्वारा अयोग्यताः-

(1) यदि राज्य निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति, (क) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अपेक्षित समय के भीतर और तरीके से निर्वाचन व्यय का लेखा दर्ज करने में विफल रहा है, और

बी.

(ख) ऐसी विफलता के लिए कोई उचित कारण या औचित्य नहीं है, राज्य चुनाव आयोग, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित एक आदेश द्वारा, उसे अयोग्य घोषित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को इस आदेश की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पार्षद होने या पार्षद होने के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।

सी.

(2) राज्य निर्वाचन आयोग, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, उप-धारा (1) के तहत किसी भी अयोग्यता को हटा सकता है या ऐसी किसी अयोग्यता की अवधि को कम कर सकता है।”

34. अपीलार्थी को 1959 के अधिनियम के अनुसार आयोजित ग्राम पंचायत के चुनाव के संबंध में उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। उक्त अधिनियम की धारा 13, जो 2018 के महाराष्ट्र अधिनियम 54 द्वारा प्रतिस्थापन से पहले मौजूद थी, चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता पर विचार करती है।प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैः

डी.

“13. मतदान करने और निर्वाचित होने के लिए योग्य व्यक्ति

ई.

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आयु प्रत्येक आम चुनाव या उपचुनाव के लिए नामांकन करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि को 21 वर्ष से कम नहीं है और जिसका नाम मतदाताओं की सूची में है, जब तक कि इस अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, वह उस वार्ड के लिए सदस्य के चुनाव में मतदान करने के योग्य होगा जिससे ऐसी सूची संबंधित है।

एफ.

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में है, जब तक कि इस अधिनियम के तहत या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जाता है, वह गाँव के किसी भी वार्ड के लिए चुने जाने के योग्य होगा।ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ऐसे गाँव के लिए मतदाताओं की सूची में दर्ज नहीं है, गाँव के किसी भी वार्ड के लिए निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा।

जी.

35. उच्च न्यायालय ने गोकुल के रूप में अपने पहले के फैसले का पालन किया

चंदनमल सांगवी बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य **10**

10 2018 (4) एमएच एलजे 911 ए

एच.

900 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 2 एस. सी. आर.

कि एक उम्मीदवार द्वारा की गई अयोग्यता उक्त अधिनियम की धारा 13 के संदर्भ में 1959 अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता का कारण बनेगी। चूँकि अपीलार्थी को 1961 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अयोग्य ठहराया गया है, इसलिए ऐसी अयोग्यता 1959 के अधिनियम के तहत भी चुनाव के उद्देश्यों के लिए अयोग्यता है।इसलिए, अपीलार्थी 1961 के अधिनियम के तहत पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य ठहराए जाने के कारण ग्राम पंचायत के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। हम इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों से असहमत होने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

बी.

36. गोकुल चंदनमल सांगवी में उच्च न्यायालय, जबकि

इस तर्क पर विचार करते हुए कि वर्तमान अपीलार्थी के नामांकन पत्र स्वीकार करने वाले व्यथित व्यक्ति का उपाय चुनाव याचिका के माध्यम से है, यह अभिनिर्धारित किया कि यदि

चुनाव में अवैधताएँ थीं, तो इसका चुनाव को दूषित करने का प्रभाव होगा।उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

सी.

“10. .....इस मामले में एन. पी. पुन्नूस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 64 के फैसले के बारे में एक संदर्भ है।पुन्नूस्वामी के मामले में, अपीलार्थी का नामांकन खारिज कर दिया गया था और उन्होंने आदेश को रद्द करने और अपना नाम शामिल करने के लिए प्रमाणपत्र की एक रिट द्वारा इसे चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे निर्वाचन अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, एकमात्र उपाय चुनाव समाप्त होने के बाद प्रस्तुत की जाने वाली चुनाव याचिका द्वारा प्रदान किया गया था और यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी मध्यवर्ती अवधि के दौरान भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।हालाँकि, यदि चुनाव में अवैधताएँ होतीं, तो इसका चुनाव को दूषित करने का प्रभाव पड़ता।

डी.

ई.

***

***

***

एफ.

17. हम पाते हैं कि निर्वाचन अधिकारी ने प्रत्यर्थी संख्या 5 के नामांकन को बरकरार रखते हुए कानून के प्रावधानों के लिए पूरी तरह से विरोधाभासी रुख अपनाया है।चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 5 को अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई थी, इसलिए पूरा चुनाव दूषित हो गया है।”

जी.

37. एन. पी. पुन्नूस्वामी बनाम निर्वाचन अधिकारी 11 के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एकमात्र उपाय चुनाव याचिका द्वारा प्रदान किया गया था जिसे चुनाव समाप्त होने के बाद प्रस्तुत किया जाना था और यहां तक कि उच्च न्यायालय को ए के अनुच्छेद 226 के तहत कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

11 ए. आई. आर. 1952 एससी 64

एच.

मध्यवर्ती अवधि के दौरान भारत का संविधान।यह अभिनिर्धारित किया गया कि नामांकन पत्र की अस्वीकृति का आधार किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य स्तर पर और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष आग्रह नहीं किया जा सकता है।इसने आगे कहा कि चुनाव कानून के तहत, नामांकन पत्र की अस्वीकृति का उपयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 के संदर्भ में कानून द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के समक्ष प्रश्नगत चुनाव को बुलाने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है।यह न्यायालय निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचाः

बी.

“(1) लोकतांत्रिक देशों में विधानसभाओं द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखते हुए, यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बात मानी गई है कि चुनाव समय सारिणी के अनुसार जल्द से जल्द संपन्न किए जाने चाहिए और चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी विवादास्पद मामलों और सभी विवादों को चुनाव समाप्त होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए, ताकि चुनाव की कार्यवाही अनावश्यक रूप से मंद या लंबी न हो।(2) इस सिद्धांत के अनुरूप, इस देश के साथ-साथ इंग्लैंड में भी चुनाव कानून की योजना यह है कि किसी भी ऐसी चीज को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए जो "चुनाव" को प्रभावित न करे; और यदि कोई अनियमितताएं की जाती हैं, जबकि यह प्रगति पर है और वे उस श्रेणी या वर्ग से संबंधित हैं, जो उस कानून के तहत, जिसके द्वारा चुनाव शासित होते हैं, "चुनाव" को दूषित करने का प्रभाव डालते हैं और प्रभावित व्यक्ति को इसे प्रश्न में बुलाने में सक्षम बनाते हैं, तो उन्हें चुनाव याचिका के माध्यम से एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए और चुनाव के दौरान किसी भी न्यायालय के समक्ष विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए।”

सी.

डी.

ई.

38. 73 वें संविधान संशोधन ने भारत के संविधान में भाग IX को जोड़ा।भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ में प्रावधान किया गया है कि किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई चुनाव याचिका के माध्यम से और उस तरीके से जो राज्य के विधानमंडल के तहत बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया हो।भारत के संविधान का अनुच्छेद 243-ओ निम्नानुसार हैः

एफ.

“ 243-ओ. चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार।-

इस संविधान में कुछ भी होने के बावजूद -

जी.

(क) निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या अनुच्छेद 243-के के तहत बनाए गए या किए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा;

एच.

(ख) किसी भी पंचायत के लिए कोई भी चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा, सिवाय उस चुनाव याचिका के जो ऐसे प्राधिकरण को और उस तरीके से प्रस्तुत की जाती है जिसके लिए किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके तहत प्रावधान किया गया है।"

39. इस तरह के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में, धारा 15 ए को 1994 के महाराष्ट्र अधिनियम संख्या 21 द्वारा जोड़ा गया था।वर्तमान अपीलों में विवाद संसद के किसी भी सदन के चुनाव से संबंधित नहीं है, बल्कि स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित है।संवैधानिक प्रतिबंध भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ में निहित है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए धारा 15 ए को वर्ष 1994 में जोड़ा गया था।1959 के अधिनियम की धारा 15 ए इस प्रकार हैः-

बी.

" 15 उ. चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने पर रोक।-

सी.

धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार के अलावा किसी भी पंचायत के लिए कोई चुनाव प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा और उस धारा में निर्दिष्ट न्यायाधीश के अलावा कोई अन्य न्यायालय ऐसे चुनाव के संबंध में किसी भी विवाद को स्वीकार नहीं करेगी।"

40. मोहिंदर सिंह गिल और ए. एन. आर. बनाम मामले में एक संविधान पीठ।मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य। 12 ने एन. पी. की जांच की।

डी.

पोन्नुस्वामी का मामला और यह अभिनिर्धारित किया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 329 एक गैर-अबाधित खंड के साथ शुरू होता है कि इस संविधान में निहित होने के बावजूद, किसी भी सदन के लिए कोई भी चुनाव एक चुनाव याचिका के अलावा प्रश्न में नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 को बाहर कर दिया गया है, जहां विवाद एक चुनाव पर सवाल उठाने का रूप लेता है, सिवाय उन विशेष स्थितियों के जो इंगित की गई हैं लेकिन पोन्नुस्वामी में अनछुई छोड़ दी गई हैं।यह माना गया कि चुनाव के दौरान की गई हर गलती का एक उपाय है, हालांकि इसे चुनाव के बाद के चरण में स्थगित कर दिया गया है।चुनाव न्यायाधिकरण के पास पीड़ित उम्मीदवार को राहत देने की शक्तियां हैं।

ई.

एफ.

41. स्थानीय निकाय के चुनावों के संबंध में, इस न्यायालय ने एक निर्णय में

एस**.** टी**.** मुथुसामी बनाम के**.** नटराजन और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया। **13,** स्वीकृत पूर्ण

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अदालती निर्णय ने मालम सिंह बनाम कलेक्टर, सीहोर 14 के रूप में रिपोर्ट किया, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नगरपालिकाओं, पंचायत और इसी तरह के स्थानीय निकायों के चुनाव के संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है, लेकिन चुनाव विवाद को तंत्र के माध्यम से तेजी से हल करना वांछनीय है।

जी.

12 (1978) 1 एससीसी 405 13 (1988) 1 एससीसी 572 14 एआईआर 1971 एमपी 195 ए

एच.

903

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

चुनाव याचिकाएँ।मालम सिंह के मामले में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दियाः

“7. अतः यह अधिनियम शिकायत किए गए विशेष उल्लंघन के लिए एक पूर्ण उपचार प्रदान करता है।विधानमंडल ने उस तरीके को निर्धारित किया जिसमें और जिस स्तर पर नामांकन पत्र की अस्वीकृति को प्रश्न में चुनाव बुलाने के लिए एक आधार के रूप में उठाया जा सकता है।हम समझते हैं कि यह धारा 357 (1) की भाषा से आवश्यक निहितार्थ का अनुसरण करता है कि इस आधार का अन्य तरीके से, किसी अन्य स्तर पर और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष

आग्रह नहीं किया जा सकता है।यदि उन आधारों को, जिनके आधार पर चुनाव को प्रश्नगत किया जा सकता है, प्रारंभिक चरण में उठाया जा सकता है और त्रुटियों, यदि कोई हों, को सुधारा जा सकता है, तो धारा 357 (1) जैसे प्रावधान को लागू करने और चुनाव न्यायाधिकरण की स्थापना करने का कोई अर्थ नहीं होगा।इसलिए, नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति का प्रश्न चुनाव के समापन के बाद एक चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष लाया जाना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

***

***

***

17. अंत में, उनके लॉर्डशिप्स ने कहा कि इस देश में चुनाव का कानून इस बात पर विचार नहीं करता है कि निम्नलिखित परिच्छेद में चुनाव कार्यवाही से जुड़े मामलों पर दो हमले होने चाहिएः —

ई.

“मेरी राय में, इस तरह की स्थिति की पुष्टि करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की योजना के विपरीत होगा, जो कि जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा लगता है कि कोई भी मामला जो चुनाव को दूषित करने का प्रभाव डालता है, उसे केवल उचित स्तर पर एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष उचित तरीके से लाया जाना चाहिए और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष मध्यवर्ती स्तर पर नहीं लाया जाना चाहिए।मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कानून के तहत, नामांकन पत्र की अस्वीकृति का एकमात्र महत्व इस तथ्य में है कि इसका उपयोग चुनाव को विचाराधीन करने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है।”

एफ.

जी.

18. नगरपालिका, पंचायत आदि जैसे स्थानीय निकायों के चुनावों के संबंध में रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है।हालाँकि, चूंकि चुनाव याचिकाओं की मशीनरी के माध्यम से चुनाव विवादों को तेजी से हल करना वांछनीय है, इसलिए न्यायालय को हमेशा अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए।

एच.

यदि चुनाव याचिका का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो चुनाव विवाद में अपने रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने से इनकार करें।इसलिए, संग्राम सिंह बनाम चुनाव न्यायाधिकरण, कोटा, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 425 में सर्वोच्च न्यायालय के उनके अधिपत्य ने कहाः—

"..... हालाँकि कोई भी विधायिका इन संवैधानिक मालिकों पर सीमाएँ नहीं लगा सकती है, लेकिन इन विशेष अधिकारों के बारे में विवादों का जल्द से जल्द निर्णय लेने की विधायिका की नीति को ध्यान में रखना विवेक का एक अच्छा अभ्यास है।इसलिए, इस वर्ग के मामले में रिट याचिकाओं पर हल्के में विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

बी.

सी.

42. इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष एक स्थानीय निकाय के चुनाव से संबंधित विवाद को उठाने के संबंध में प्रश्न की फिर से जांच की।

निर्णय हरनेक सिंह बनाम चरणजीत सिंह और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया। **15.**यह**.**

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया थाः"15. उपरोक्त प्रार्थनाएँ (बी) और (सी), स्पष्ट रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा याची के पक्ष में नहीं दी जा सकती थीं।यह सच है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक पूर्ण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रकृति में विवेकाधीन होने के कारण इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि इसके लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है।(श्रीमती संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2 (2005) 8 एस. सी. सी. 242:005 (7) स्केल 290.)16. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ में कहा गया है कि सभी चुनाव विवादों का निर्धारण केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से किया जाना चाहिए।यह अपने आप में न्यायिक समीक्षा को बाधित नहीं कर सकता है जो संविधान की मूल संरचना है, लेकिन आम तौर पर ऐसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया जाएगा।कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एक रिट याचिका पर विचार किया जाएगा लेकिन इस मामले में हम उक्त प्रश्न से संबंधित नहीं हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

17. सी. सुब्रमण्यम बनाम के. रामांजनेयुलु और अन्यः(1998) 8 एस. सी. सी. 703, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एक रिट याचिका पर तब विचार नहीं किया जाना चाहिए जब उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न गैर-अनुपालन था।

एच.

15 (2005) 8 एससीसी 383 ए

905

लक्ष्मीबाई बनाम कलेक्टर, नैंडेड और ओआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।] ए.

अधिनियम के प्रावधान जो अधिनियम के तहत बनाए गए नियम 12 के संदर्भ में एक चुनाव याचिका के लिए आधारों में से एक था।

43. 1959 के अधिनियम की धारा 10 ए और 1961 के अधिनियम की धारा 9 ए, जिन्हें अनुच्छेद 243-के और 243-ओ के सहपठित पढ़ा जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के समान हैं।निर्दिष्ट निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हम पाते हैं कि किसी उम्मीदवार के नामांकन को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले व्यथित व्यक्ति का उपचार 1959 के अधिनियम की धारा 15 ए के तहत बनाए गए प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए एक चुनाव याचिका के माध्यम से है। उक्त अधिनियम एक पूर्ण संहिता है जो 1959 के अधिनियम की धारा 15 में निहित चुनाव से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र प्रदान करता है। यद्यपि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, लेकिन ऐसी अधिकार क्षेत्र प्रकृति में विवेकाधीन है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है कि एक प्रभावी वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के संदर्भ में संयम बरतें।एक बार जब क़ानून द्वारा वैकल्पिक तंत्र प्रदान किया जाता है, तो रिट अधिकार क्षेत्र का सहारा लेना एक उचित उपाय नहीं है।यह एक विवेकपूर्ण विवेकाधिकार है कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाए, विशेष रूप से चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद, लेकिन पार्टियों को क़ानून द्वारा विचार किए गए उपाय के लिए हटा दिया जाए।उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था।हालाँकि, उच्च न्यायालय का आदेश कि अपीलार्थी ने चुनाव की तारीख को किए गए चुनाव खर्च को प्रस्तुत नहीं किया है, किसी भी हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

44. नतीजतन, 3 नवंबर, 2014 को कलेक्टर द्वारा पारित आदेश और अपील और रिट याचिका में बाद के आदेशों को पांच साल की अवधि के लिए अयोग्यता निर्धारित करने की सीमा तक अपास्त करना दिया जाता है और मामले को कलेक्टर को चूक की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए चुनाव खर्च प्रस्तुत करने की मांग की जाती है और अयोग्यता का आदेश आदेश की तारीख से संचालित होता है, जिसमें अयोग्यता का आदेश पारित करने में देरी भी शामिल है, को ध्यान में रखा जाता है।कलेक्टर इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर अधिमानतः कानून के अनुसार अयोग्यता की अवधि के संबंध में नए सिरे से आदेश पारित करेगा।अयोग्यता की अवधि, यदि कोई हो, कलेक्टर द्वारा 3 नवंबर, 2014 को पहले पारित आदेश की तारीख से लागू होगी और अयोग्यता के आदेश के परिणामस्वरूप आयोजित कोई भी चुनाव कलेक्टर द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम आदेश का पालन करेगा।

एफ.

जी.

एच.

45. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16837 और 2019 की 20814-20816 से उत्पन्न होने वाली सिविल अपीलों को उपर्युक्त शर्तों में अनुमति दी गई है; जबकि विशेष अनुमति याचिका (2019 की डायरी संख्या 40018) से उत्पन्न दीवानी अपील को खारिज कर दिया जाता है।

बी.

देविका गुजराल

अपीलों का निपटारा किया गया।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.